राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या, अपीलार्थी का नाम एवं पदनाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3760/2025 गंगाधर सैनी, पम्प चालक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	04.08.2025	श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक
2.	3761/2025 बुगल सिंह, पम्प चालक	राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।	04.08.2025	श्री राज कुमार गोयल, अभिभाषक

आदेश की दिनांक : 05.08.2025

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3760/2025 गंगाधर सैनी बनाम प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति मस्टर रोल दिनांक 16.12.89 पर दैनिक वेतन भोगी के पद पर की गई थी, दो वर्षों के बाद अपीलार्थी को अर्ध–स्थायी दर्जा दिया गया तथा दिनांक 16.12.2091 को हेल्पर का पद दिया गया तथा वेतनमान रु. 775/– दिया गया जबकि प्रत्यर्थियों को दिनांक 16.12. 1991 की तिथि से पंप चालक का वेतनमान रु. 950/– दिया जाना चाहिए। प्रत्यर्थियों को वेतनमान रु. 950/– दिया जा रहा है। अपीलार्थी नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से हेल्पर के रूप में कार्यरत है और अपीलार्थी दिनांक 16.12.1991 से पंप चालक के वेतनमान का हकदार है। अपीलार्थी को 10 वर्ष की सेवा के बाद स्थायी दर्जा दिया गया है। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी के पास 10वीं पास की शैक्षणिक योग्यता है, प्रारंभिक दो वर्षों की सेवा के बाद उसे 16.12.1991 को हेल्पर के रूप में नियुक्त किया गया था, अपीलार्थी को 2014 की प्रारंभिक तिथि से पंप चालक का काम सौंपा गया था, लेकिन अन्य समान नियुक्ति वाले व्यक्तियों को अर्ध–स्थायी स्थिति की तिथि से पंप चालक का वेतनमान दिया गया और 2014 का 950/– वेतनमान दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को 950 रुपये का वेतनमान दिया जाना चाहिए, जबकि प्रासंगिक समय पर अपीलार्थी और अन्य

समान व्यक्तियों के वेतनमान में अंतर है, हालांकि शैक्षणिक योग्यता समान थी और अन्य समान व्यक्ति हेमंत शर्मा और हरभान सिंह को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से स्टोर मुंसी का वेतनमान दिया गया है, वे दैनिक वेतन पर नियुक्त हैं, दोनों को स्टोर मुंसी के रूप में काम सौंपा गया है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष दिनांक 14.07.25 को पंप चालक के पद पर 950/– रुपये के वेतनमान के लिए अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जो दो वर्षों की समान सेवा के बाद प्रदान किया गया था, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने आज तक अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किया है और न ही उन्हें समान लाभ प्रदान किए हैं। (अनुलग्नक–2) इसी तरह का विवाद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दुर्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3040/89 में दिनांक 13.12.94 के आदेश द्वारा हल किया गया था, जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा अनुमति दी गई थी और इसी तरह के अन्य मामले के मामले में एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3648/89 में सोहन बनाम राज्य का निर्णय 16.12.94 को हुआ। (अनुलग्नक–3 व 4) इसी तरह के विवाद का निर्णय अधिकरण द्वारा राजेंद्र कुमार शर्मा बनाम राज्य के मामले में अपील संख्या 3413/2025 में दिनांक 21.07.25 के आदेश के तहत किया गया है। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी की नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि 16.12.91 से पंप चालक का वेतनमान प्रदान किया जावे तथा सभी परिणामी लाभ प्रदान प्रदान किए जावे, जो समान स्थिति वाले व्यक्तियों को समान लाभ प्रदान किए गए थे।

हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपील में वर्णित आधारों पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम

प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगर्ण को दे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को किसी विशिष्ट तरीके से निस्तारित करने के संबंध में कोई आदेश नहीं दे रहा है।

अतः उक्त अपीले, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

मूल आदेश अपील संख्या 3760/2025 गंगाधर सैनी बनाम प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंता विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य पत्रावली में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य